प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायपीठ : माननीय श्री राजिव गुप्ता, मुख्य नयायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमारसिन्हा. न्यायाधीश ।

दांडिक अपील क्रमांक 1096/1993

विजय कुमार एवं अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारणार्थ हेतु,

हस्ता /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजिव गुप्ता

मैं सहमत हूं,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

मुख्य न्यायाधीश

24/4/2011

निर्णय हेतु सूचीबध्ह करें:

हस्ता /-

न्यायाधीश

4/5/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायाधीश: माननीय श्री राजिव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनी ल कुमार सिन्हा,_न्यायाधीश.

1993 की आपराधिक आवेदन क्रमांक:1096

अपीलार्थीगण 1 विजय कुमार पिता हुलासराम कौशिक, उम्र 24 साल

2 हुलासराम पिता रामचरन कौशिक, उम्र 45 वर्ष

दोनों कृषक, निवासी ग्राम: कानपा, थाना: कवर्धा

तहसील: कवर्धा, जिला राजनंदगांव, म.प्र. (अब

जिला कवर्धा, छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थिति:

श्री पी.के.सी. तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता; प्रत्यार्थी के लिए अधिवक्ता श्री शशिभूषण

के साथ,

.श्री जमील अख्तर लोहानी, राज्य के पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(5-.05.2011)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया

सुनील कुमारसिन्हा, न्यायाधीश I

(1) यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, वर्चुअल न्यायालय, कवर्धा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 32/93 में पारित निर्णय दिनांक 23 नवंबर 1993 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अपीलार्थी क्रमांक 1 को भा.द.सं. की धारा 302 और 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और अपीलार्थी नंबर 2 को भा.दं.सं. की धारा 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और 3 वर्ष के लिए और अपीलार्थी क्रमांक 2 को 3 वर्ष के लिये कठोर कारावास की दण्ड सुनाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) बताए गए तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

मृतक- विद्या बाई, जागेश्वर सिंह (अ.सा.-3) की बेटी थी। उसकी अपीलकर्ता क्रमांक 1 से वर्ष 1984 में विवाह हुई थी। गौना वर्ष 1987 में हुआ था। गौना के बाद वह ग्राम-कानपा में अभियुक्त व्यक्तियों के साथ रह रही थी। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 मृतक का ससुर है। तीसरी अभियुक्त उमा बाई मृतिका की सास थी। दिनांक 17.12.92 को प्रातः लगभग 7.00 बजे माता-पिता को सूचना दी गयी कि विद्याबाई की मृत्यु हो गयी है। यह सूचना मिलने के बाद, मृतिका के भाई - राजेश, रमेश कुमार (अ.सा.--7), उसकी भाभी और मां इंदर बाई (अ.सा. -8) ग्रामीणों के साथ ग्राम कनपा गए। उन्होंने शव को देखा और उसके पश्च्यात शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिनांक 2.1.93 को, जागेश्वर सिंह (अ.सा.3) ने संबंधित पुलिस को एक लिखित (टंकित की गई) शिकायत (अनुलग्नक.-पी/10) दर्ज कराई, जिसमें दहेज की मांग के कारण उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए और आगे कहा कि यह हत्या का प्रकरण था जिसके लिए तीनो अभियुक्त व्यक्ति व्यक्ति जिम्मेदार थे। मर्म सूचना (अनुलग्नक.-पी/14) दर्ज की गई

थी। दिनांक 4.1.93 को शव को कब्र से निकाला गया तथा शव परीक्षण कराया गया। शवपरीक्षण करने वाले शल्यचिकित्सकों ने पाया कि प्रथम ग्रीवा कशेरुका में फ्रैक्चर(अस्थिभंग) था, हाइपोइड हड्डी भी फ्रैक्चर(अस्थिभंग) थी और थायरॉइड कार्टिलेज पर भी फ्रैक्चर(अस्थिभंग) था। उनका मत था कि मृत्यु का कारण दम घुटना और गला घोंटने के कारण आघात और प्रथम ग्रीवा कशेरुका में फ्रैक्चर(अस्थिभंग) था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श -P/4 है,

सामान्य अन्वेषण पूरी होने के बाद, घर के तीन सदस्यों अर्थात पति, ससुर और सास के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 302 के विकल्प में धारा 302/34 भा.द.सं. के अंतर्गत और इसके अतिरिक्त वैकल्पिक धारा 304 ख और 201 भा.द.सं के अंतर्गत आरोप निश्चित किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि यह हत्या का प्रकरण था और साथ ही हत्या के साक्ष्य का विलोपन कर दिया गया था और 2 अभियुक्त व्यक्ति (यहां अपीलकर्ता) भा.द.सं की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दण्ड के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि, तीसरी अभियुक्त उमा बाई (सास) को दोषमुक्त कर दिया गया था ।

(3) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.सी. तिवारी ने तर्क दिया कि यह प्राकृतिक मृत्यु का प्रकरण है। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक के भाई, भाभी और मां सहित परिवार के कई सदस्य अपीलकर्ताओं के घर गए थे और उन्होंने दाह संस्कार में भाग लिया था, लेकिन उन्होंने उस समय कोई आपत्ति नहीं जताई। यहां तक कि दिनांक 2.1.93 को लिखित शिकायत प्रस्तुत होने तक कोई आपत्ति भी नहीं उठाई गई। यह शिकायत अत्यधिक विलंब के बाद दर्ज की गई। सत्र न्यायाधीश ने चिकित्सकों की राय पर भरोसा जताया कि यह एक मानव वध थी जो शरीर पर पाए गए 3 फ्रैक्चर(अस्थिभंग) पर आधारित थी। उनका यह भी कहना था कि, वास्तव में, वे फ्रैक्चर शव को उठाने रखने और भारी पत्थर और मिट्टी डालकर उसका दाह संस्कार करने के कारण हुए थे और शव को निकालते समय भी फ्रैक्चर(अस्थिभंग) होने की संभावना थी।

इसलिए, शव परीक्षण करने वाले शल्यचिकित्सकों की राय सकारात्मक लक्षणों और गला घोंटने और हत्या के अचूक सक्ष्यों पर आधारित नहीं थी। इस प्रकार सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष देकर विधि की त्रुटि की कि मृतक की मृत्यु मानव वध थी ।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और निष्कर्षों का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) स्वीकृतरूप से कथित घटना दिनांक 17.12.92 को हुई थी और मृतक के ससुराल वालों द्वारा तुरंत उसके माता-पिता को सूचित किया गया था। उनकी सूचना पर, रमेश कुमार (अ.सा.-7), उनके बड़े भाई राजेश (मृतक के दोनों भाई), उनकी मां- इंदर बाई (अ.सा.--8), मृतक की भाभी-कुमारी बाई और 2 ग्रामीण अर्थात्- शिव चरण और खखरा बाई ग्राम कनपा गए। रमेश कुमार (अ.सा.-7) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने शव देखा था जो घर के आंगन में रखा हुआ था। उन्होंने मृतक की गर्दन पर सूजन और काला धब्बा देखा था और कान से रक्त बह रहा था I उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा मृतक के साथ दुर्व्यवहार के बारे में भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि वह पुलिस में शिकायत करना चाहते थे, लेकिन अपीलार्थीयों ने उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए मना लिया, इसलिए शिकायत लिखाया नहीं गया । उन्होंने बहुत स्पष्टता से स्वीकार किया कि शाम को उन्होंने अपने पिता जागेश्वर सिंह (अ.सा.-3) को पूरी कहानी सुनाई थी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनके द्वारा शिकायत भी नहीं लिखाया गया I इंदर बाई (अ.सा.—8) -मृतक की मां) ने भी इसी तरह अधिसाक्ष्य दिया है । उसने यह भी बताया कि उसने देखा कि कान से रक्त निकल रहा था; गर्दन पर सूजन थी; गर्दन पर एक चिन्ह था; और पेट सूज गया था I

(7) लिखित शिकायत (अनुलग्नक -पी/10) की सामग्री से यह स्वतः स्पष्ट है कि यह दिनांक 2.1.93 को लिखाई गई थी। अर्थात उक्त शिकायत घटना दिनांक के 17वें दिन बाद लिखाई गयी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जागेश्वर सिंह (अ.सा.--3) ने रिपोर्ट में इतने लंबे विलंब के बाद शिकायत दर्ज कराने का कोई कारण नहीं बताया है। यह शिकायत रमेश कुमार (अ.सा.--7) और इंदर बाई (अ.सा.--8) से विचार-विमर्श के बाद लिखवाई गई है। शिकायत में मृत शरीर पर पाये गये उन लक्षणों के बारे में विलोपन हुइ है जो उपरोक्त दोनों साक्ष्यों ने न्यायालय के समक्ष अभिप्रेषित किए थे। यदि उपरोक्त सभी लक्षण रमेश कुमार (अ.सा.--7) और इंदर बाई (पीडब्लू-8) ने शिकायत दर्ज कराने वाले जागेश्वर सिंह (अ.सा.-3) को बताए होते तो रिपोर्ट में उन लक्षणों से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया होता जिससे विश्वास करने के लिये स्पष्ट बताया जाता होगा जो यह मानने का कारण बताते हैं कि यह मानव वध का प्रकरण था और मृतक की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) रामजी सूर्या और अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1983 एससी 810 में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में असाधारण देरी हुई थी और देरी की स्पष्ट करने में अभियोजन पक्ष भी विफल रहा था I पुलिस चौकी को घटना की सूचना देने में अत्यधिक देरी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बिलकुल भी विश्वासयोग्य नंही था I सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि ऐसी परिस्थितियों में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

(9) दिलावर सिंग विरूद्ध - दिल्ली राज्य एआईआर 2007 एससी 3234 में यह अभिनिर्णित किया गया कि दांडिक प्रकरण में न्यायालय के लिए मुख्य सिद्धांतों में से एक प्रतिवेदन लिखवाने में विलम्ब के लिए संभावित स्पष्टीकरण की शोध करना है। विलम्ब से कभी-कभी शिकायतकर्ता को शिकायत पर विचार-विमर्श करने और अलंकरण करने या यहां तक कि मनगढ़ंत बातें करने का अवसर मिल जाता है। विलम्ब से मामले के स्पष्ट और दुर्भावनारहित कारण को जल्द से जल्द न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसीलिए यदि पुलिस या न्यायालय के सामने आने में विलम्ब होती है, तो न्यायालयों में हमेशा आरोपों को संदेह की दृष्टि से देखती हैं और संतोषजनक स्पष्टीकरण की तलाश करती हैं। यदि ऐसी कोई संतुष्टि नहीं होती है, तो विलम्ब को अभियोजन प्रकरणों के लिए घातक माना जाता है।

(10) महताब सिंग और अन्य – विरुद्ध- उ.प्र. राज्य..एआईआर 2009 एससी 2298 में , घटना पुलिस चौकी से कुछ गज की दूरी पर हुई लेकिन प्रत्यक्षदर्शी, सूचनादाता ने तुरंत पुलिस थाना को प्रकरण की सूचना नहीं दी। उन्होंने एक व्यक्ति से लिखित शिकायत तैयार करवाई और फिर लिखित शिकायत लेकर पुलिस चौकी गए। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया है कि पुलिस चौकी में घटना की शिकायत करने में विलम्ब अभियोजन पक्ष के प्रकरण की सत्यता पर संदेह पैदा करती है।

(11) जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि शिकायत में 17 दिनों की अत्यधिक विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने यह कहकर विलम्ब को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जागेश्वर सिंह (अ.सा.--3) स्वस्थ नहीं थे। यह विलम्ब को स्पष्ट करने का लापरवाहीभरा प्रयास प्रतीत होता है। जागेश्वर सिंह (अ.सा.-3) के दो वयस्क पिता थे। यदि जागेश्वर सिंह (अ.सा.-3) बीमार थे, तो उन्हें अपने बेटों को शिकायत दर्ज कराने के लिए भेजना चाहिए था। यह कोई छोटी घटना नहीं थी I उनके अनुसार, मृतिका की उसके ससुराल वालों आदि ने ससुराल में ही हत्या कर दी और दफना दिया। सामान्य स्थिति में ऐसे प्रकरणों में अविलम्ब प्रकरण दर्ज करायी जानी चाहिए थी I जागेश्वर सिंह (अ.सा.-3) सहित उपरोक्त साक्षियों का आचरण बिल्कुल भी विश्वसनीय और संतोषजनक नहीं था। उनके द्वारा अपने साक्ष्य में विलम्ब का दिया गया कामचलाऊ स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं था। इसलिए, हमारा विचार है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखाने में अस्पष्टीकृत एवं अत्यधिक देरी; अभियोजन पक्ष के लिए घातक थी।

(12) अब हम मृतक की मानव वध से संबंधित निष्कर्ष पर विचार करेंगे ।

(13) उपरोक्त निष्कर्ष मुख्य रूप से डॉ. आर.डी. नागरिया (अ.सा.--1) के साक्ष्य पर आधारित है। उन्होंने मृतक के शरीर पर 3 फ्रैक्चर(अस्थिभंग) देखे थे. उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं मिला । शव काफी सड़ी-विकृत अवस्था में थी । उपरोक्त 3 फ्रैक्चर(अस्थिभंग) को छोड़कर उन्हें कोई असामान्यता नंही दिखी । उन्होंने राय दिया कि मृत्यु गला घोंटने गला घोंटने और प्रथम ग्रीवा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कशेरुका का फ्रैक्चर(अस्थिभंग) के कारण दम घुटने से हुइ सदमा था I उन्होंने तर्क में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनकी राय का आधार हायेग्र हड्डी और थायरॉयड उपास्थि पर हुए फ्रैक्चर(अस्थिभंग) थे। दंडाधिकारी और शव परीक्षण करने वाले शल्यचिकित्सक डॉ. आर.डी. नगरिया (अ.सा.-1) की उपस्थिति में शव को कब्र से निकाला गया। यह साक्ष्य में आया है कि शव एक कब्र (कबरा) में था जिसकी चौड़ाई 3 फीट और गहराई 3-4 फीट थी। यह मिट्टी से ढका हुआ था। रमेश कुमार (अ.सा.-7) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका -5 में स्वीकार किया कि शव का अंतिम संस्कार 4-5 फीट की गहराई वाली कब्र में किया गया था। कब्र की लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 3 फीट थी। शव को कब्र में दफनाने के बाद मिट्टी पाती गई थी, पानी डाला गया था और उसके बाद उसे पत्थरों से दबा दिया गया था जिससे उसे इधर उधर ना किया जा सके या बाहर नहीं निकाला जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) मोदीज़ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, तेईसवां संस्करण, अध्याय 15 पुरावशेषों के पोस्टमार्टम से संबंधित है। पृष्ठ-468 पर एक शव के रख-रखाव और पुरावशेषों के उत्खनन पर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए -

(ii) मृत शरीर का रख-रखाव:

शवगृह के कर्मचारियों द्वारा शव को स्थानांतरित करते समय या परिवहन के दौरान, लापरवाहीपर्ण व्यवहार करने के कारण निम्नलिखित प्रकार के अस्थी-भंगुरता उत्पन्न हो सकते हैं:

(1) सिर टकराने के कारण पिछले भाग में चोट लगना।

(2) कभी-कभार, गर्दन अंदर होने पर ग्रीवा रीढ़ की हड्डी टूट सकती है

(3) शव को शिथिल अवस्था. में खींचने के कारण शारीर या पीठ पर खरोंच या अस्थि अस्थिभंग,

(4) विशेष रूप से वृद्धों और कमज़ोर लोगों में, और विशेषकर उन लोगों में जो लंबे समय से बिस्तर पर पड़े रहे है, लंबी हड्डियों में फ्रैक्चर — जो कि अस्थि भंगुरता, बदलावों और हड्डियों की कमज़ोरी के कारण होते हैं।

(5) शवों को उठाते और संभालते समय, शरीर के अकड़न के कारण टूटन हो सकता है, जिससे मृत्यु के समय के बारे में गलत संकेत मिल सकते हैं। यद्यपि, यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए—खासकर अपराध स्थल पर शवों की जाँच करते समय—कि छिपी हुई चोटों (विशेष रूप से गुप्तांगों पर) का पता लगाने के लिए, कभी-कभी 'रिगर मोर्टिस' (शव की अकड़न) को कृत्रिम रूप से तोड़ना आवश्यक हो सकता है।

(iii) उत्खलन पुरावशेष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्खलन के उपकरण शरीर की पुनर्प्राप्ति के दौरान आकस्मिक अस्थिभंग का कारण बन सकते हैं। चोटों और प्राकृतिक छिद्रों पर कवक की उपस्थिति भ्रम पैदा कर सकती है। कवक के विकास के नीचे की त्वचा का मलीनीकरण संलयन का अनुकरण करता है। पृथ्वी में विषैले तत्वों का शवपरीक्षण के पश्चात निषेध विष विज्ञान संबंधी विश्लेषण के में समस्याएँ पैदा कर सकता है। इसलिए मिट्टी की सामग्री यहां से एकत्र करना अनिवार्य है:

(ए) विश्लेषण के लिए शरीर के चारों ओर अलग से; और

(बी) मिट्टी का एक नमूना दफ़न स्थल से कुछ दूरी से ।

(15) लेखक की उपरोक्त निष्कर्ष और सामान्य ज्ञान के आधार पर, दाह संस्कार या उत्खनन के समय शव पर ऐसे फ्रैक्चर(अस्थिभंग) आने की संभावना से पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। चिकित्सक की राय और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/4 पर गौर करें तो मानव वध के संबंध में राय देने का एकमात्र आधार मृतक के शरीर पर मिले 3 अस्थिभंग थे। शव परीक्षण करनेवाले शल्यचिकित्सक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उपरोक्त को छोड़कर, यह राय देने का कोई कारण नहीं था कि मृतक की मृत्यु मानव वध थी। चिकित्सक तथ्य और अभिमत दोनों के

साक्षी है। न्यायालय को यह याद रखना होगा कि चिकित्सा साक्ष्य मुख्य रूप से राय का साक्ष्य है जिस पर न्यायालय अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में चिकित्सक के साक्ष्य को किसी भी अन्य साक्ष्य के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए और फिर न्यायालय द्वारा स्वतंत्र निष्कर्ष को अभिलिखित किया जाना चाहिए (कृपया देखें - 2007 सीआरआई.एल.जे. 1036 - अटामी लक्ष्मण -विरुद्ध-छत्तीसगढ़ राज्य)। यदि मृतक के शरीर पर प्राप्त ऐसे फ्रैक्चर की संभावना को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता है, तो डॉक्टर की राय, जो पूरी तरह से उपरोक्त फ्रैक्चर(अस्थिभंग) पर आधारित थी, इस निष्कर्ष को अंकित करने का आधार नहीं बन सकती है कि मृत्यु का कारण गला घोंटना था और यह प्रकृति में मानव वध थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दाह-संस्कार या शव-उत्खनन पुरावशेषों की संभावनाओं और शव को उठाते रखने के मध्य शव पर ऐसे फ्रैक्चर(अस्थिभंग) ग्रसित होने के उदाहरणों के आलोक में प्रकरण की परीक्षण नहीं किया । हमारा विचार है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, चिकित्सा राय और शव परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मानव वध से मृत्यु के निष्कर्ष को सही नंही माना जा सकता है, क्योंकि इस प्रकरण में शव-उत्खनन, शव के रख-रखाव, दाह-संस्कार के मध्य में, इन कारणों से, शव परीक्षण प्रतिवेदन में, फ्रैक्चर(अस्थिभंग) प्राप्त होने की संभावना को पूरी तरह से अमान्य नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) उपरोक्त के अतिरिक्त, हम यह भी ध्यान देते हैं कि हरिराम (अ.सा.-5) के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति मृतक को अस्पताल ले जा रहे थे। वे उसे डोली बनाकर चारपाई पर ले गए थे। वे 2 किलोमीटर दूर गए थे जहां पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई है I इसके बाद शव को वापस घर लाया गया । हालाँकि अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्ष-द्रोही घोषित नहीं किया गया था, लेकिन लोक अभियोजक द्वारा उसकी केस डायरी के कथन के साथ उसके सम्मुख केवल इस बिंदु पर किया गया था कि शरीर चादर से ढका हुआ था, इसलिए, वह चेहरा आदि नहीं देख सका। इस बिंदु पर कोई प्रति-परीक्षण नहीं हुई है कि मृतक को अपीलकर्ताओं द्वारा अस्पताल ले जाया गया

था और यह साक्षी भी उनके साथ था। किसी मृत व्यक्ति को अस्पताल क्यों ले जाया जाएगा I हमने पूरे साक्ष्यों का परीक्षण किया है I यह ऐसा प्रकरण प्रतीत नहीं होता है जिसमें अपीलकर्ता शव को खाट पर 2 किलोमीटर दूर चिकित्सालय की ओर ले जाकर यह दिखाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे कि यह एक प्राकृतिक मौत है।

(17) उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और भा.द.सं. की धारा 302 और 201 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को निरस्त करते हैं। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षर /-
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By -----------------------Ankita Shrivasstava